

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-22-05-26

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति में रु० 3.00 लाख (तीन लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-104-चारे की पूर्ति, उपशीर्ष-0001-चारे की पूर्ति, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021040001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति विषय शीर्ष-35 01-नगद /वस्तु (बाढ़ के मददेनजर)		आवंटन का कुल योग
		पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	
1	शेखपुरा	0.00	3.00	3.00

4. उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-113 दिनांक-09.03.2026, 265 दिनांक-05.05.2026 तथा प्रभारी पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-336 दिनांक-20.05.2026 के माध्यम से की गई अधियाचना के आलोक में बाढ़ 2025 के मददेनजर व्यय किया जाएगा।

5. आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाएगी।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मो० नदीमुल गपफार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-17/2026/38...../आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-22-05-26

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव